संशोधित नियमावली

1. समिति का नाम : पं० दीन दयाल उपाध्याय जागृति समिति ।
2. समिति का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष ।
3. कार्यालय : 43 न्यू चौगुर्जी , इटावा ।
4. समिति के सदस्य : सदस्य चार प्रकार के होगे :–

(अ) संरक्षक सदस्य
(ब) नामित सदस्य
(स) आजीवन सदस्य
(द) सम्मानित सदस्य
(य) साधारण सदस्य

(अ) संरक्षक सदस्य

1. ये आजीवन सदस्य होगे ।
2. योजनाओ को साकार कराने मे अपना पूरा योगदान देगे ।
3. इस तरह के दो संरक्षक सदस्य होगे । वे स्थायी होगे ।

(a) श्री सुमित नारायण तिवारी
(b) श्री प्रमोद दुबे

4. इनकी मृत्यु पर या नाम वापस लेने पर इनके द्वारा नामित या इनके परिवार का सदस्य ही पुनः संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) नामित सदस्य

जो संस्था इस समिति द्वारा संचालित संस्था या कार्यकमो में वृहद सहयोग करेगी उनका एक एक प्रतिनिधि नामित सदस्य होगा ।

अधिकार एवं कार्य क्षेत्र

1. नामित सदस्य संस्था के लिए अपने सुधारात्मक सुझाव देगे , उन्हे प्रबन्धकार्यकारिणी द्वारा बहुमत के आधार पर लागू कराने का पूरा प्रयास किया जायेगा ।
2. वार्षिक प्रबन्ध कार्यकारिणी में बुलावा आवश्यक होगा ।
3. इस प्रकार के नामित सदस्यों द्वारा भेजे गये छात्रों के प्रवेश में शिथिलता दी जायेगी।
4. परन्तु ये सदस्य न तो हानि लाभ मे भागीदार होगे और न ही प्रबन्ध कार्यकारिणी के चुनाव मे भाग लेंगे ।

(स) आजीवन सदस्यः–

निम्न आजीवन सदस्य होंगे :–

1. वह जो एक लाख व इससे अधिक धन संस्था को देगे या एक लाख रूपये व अधिक धन की सम्पत्ति संस्था के नाम करेगे ।

सत्य–प्रतिलिपि

2. इनकी संख्या अधिक से अधिक 30 तक होगी तथा कम से कम 20 होगी।

आजीवन सदस्यों का कार्य क्षेत्र अधिकार

कार्य क्षेत्र

1. आजीवन सदस्यो की समिति होगी जो प्रबन्धक समिति कहलायेगी ।
2. इस समिति से ही संस्था के लिए निदेशक , उपनिदेशक , कोषाध्यक्ष उपकोषाध्यक्ष आदि का चुनाव होगा ।उपनिदेशक विभाग के अनुसार कई हो सकते है । प्रत्येक विभाग मे एक ही उप निदेशक होगा ।
3. सभी पदो के लिए चुनाव का अधिकार इन सदस्यों का होगा ।
4. जो सदस्य आजीवन सदस्य है वह प्रत्येक निदेशक , उपनिदेशक , कोषाध्यक्ष , उपकोषाध्यक्ष , मुख्य अनुशासक आदि का चुनाव 5 साल पूरे होने पर अथवा अविश्वास प्रस्ताव आने पर करेगे ।
5. एक मुख्य अनुशासक होगा । जिसका चुनाव प्रत्येक 5 साल में आजीवन सदस्यों मे से ही होगा ।
6. निदेशक की अनुपस्थिति मे पूर्ण अधिकार निदेशक द्वारा नामित उपनिदेशक के होगे लेकिन कोई उपनिदेशक एक साथ दो से अधिक बार नामित नही किया जा सकेगा ।

अधिकार :-

1. केवल सभी आजीवन सदस्यों को ही प्रबन्ध समिति चुनने का अधिकार होगा।
2. सभी आजीवन सदस्य संस्था के लाभ–हानि दोनो धन देने के अनुपात मे जिम्मेदार होगे ।
3. बशर्ते वह योग्य हो ।
4. आजीवन सदस्य को संस्था के हित में जो दायित्व सौपा जायेगा उनमे जो खर्च आयेगा वह प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत होने पर भुगतान किया जायेगा ।
5. प्रत्येक खर्च को प्रबन्ध समिति में रखना होगा । जो कम से कम सदस्यो के बहुमत द्वारा समर्थन होने पर ही भुगतान होगा ।
6. आजीवन सदस्यों की मृत्यु अथवा पृथक होने की स्थिति में अन्य नया सदस्य सहमति से बनाया जायेगा । यदि मृतक आश्रित सदस्य बनना चाहे तो वह सदस्य बन सकता है । बशर्ते वह पागल , अमर्यादित न हो , । सभी आजीवन सदस्य बहुमत से उस नये सदस्य का चुनाव करेगे । यदि मृतक आश्रित सदस्य अयोग्य है तो उसका धन जो संस्था को दिया गया था वापस कर दिया जायेगा।

निदेशक का कार्य क्षेत्र व अधिकार

1. शिक्षा को उत्तम बनाने के उद्देश्य से बनायी गयी विभिन्न समितियो की अध्यक्षता कराना ।
2. जिस प्रस्ताव को अनुचित समझे उसे अस्वीकृत करके पुनः विचार हेतु प्रबन्ध समिति मे रखना और विवाद होने की दशा में 1/2 से अधिक बहुमत से पारित कर पास कराना ।

सत्य–प्रतिलिपि

निदेशक

Scanned with CamScanner

3. संस्था के हित मे प्रबन्ध समिति की बैठक थोडे समय मे (24 घण्टे मे) बुलाने का अधिकार होगा ।
4. पदाधिकारियो की अनियमितताओ को प्रबन्ध समिति में रखने का अधिकार ।
5. कर्मचारियो के वेतन का भुगतान स्वीकृत करने का अधिकार । वेतन पहले कोषाधिकार अथवा उप कोषाधिकार से पास होना चाहिए ।
6. अनुशासन समिति का अध्यक्ष । इससे सम्बन्धित सभी निर्णय लेने का अधिकार ।
7. प्रवेश सम्बन्धी अनियमितताओ को रोकने सम्बन्धी अधिकार ।
8. अधिक से अधिक आवश्यकता पडने पर 6 माह के लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखने का अधिकार । इसकी स्वीकृति बाद में प्रबन्ध समिति से लेनी होगी ।
9. सभी कर्मचारियो की छुट्टियो को स्वीकृत करने का अधिकार ।
10. सभी विभागो के उपनिदेशक , कोषाध्यक्ष , उपकोषाध्यक्ष , तथा मुख्य अनुशासक के कार्यो को देखने व सुधार के लिए सुझाव देने का अधिकार जो सभी को मानना होगा । विवाद होने पर प्रबन्ध समिति में पास कराना जो 1/2 से अधिक बहुमत से पास होना चाहिए ।
11. प्रबन्ध समिति के बिना अनुमति के 20,000.00 रूपये तक संस्थान हित में व्यय करने का अधिकार । परन्तु उस व्यय को बैठक मे रखकर पास कराना अनिवार्य होगा । वर्ष मे इससे अधिक खर्च करने की स्थिति में प्रबन्ध समिति बुलानी होगी ।
12. सभी अनुदान , आय व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत करने पर अपनी अन्तिम स्वीकृति देने का अधिकार ।
13. किसी कारण से रिक्त हुए पद या नये पदों को भरने के लिए प्रस्ताव प्रबन्ध समिति मे लाना व 1/2 से अधिक बहुमत से पास कराकर लागू करना ।
14. प्रबन्ध समिति के अनुसार सभी धन सम्पत्ति की रक्षा करना ।

उपनिदेशक के कार्य व अधिकार

1. निदेशक की अनुपस्थिति मे निदेशक के कार्य को देखना ।
2. अपने अपने विभाग की प्रवेश सम्बन्धी , अनुशासन सम्बन्धी , अनुदान सम्बन्धी , व व्यवस्था सम्बन्धी जानकारियो का ब्यौरा बनवाना तथा कमियों को दूर करने के लिए निदेशक से बैठक बुलाने का अधिकार ।
3. अपने अपने विभाग का कार्य सम्बन्धित अध्यापक या कर्मचारियो से कराने का अधिकार ।
4. सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों को अनियमितताओं के ऊपर नोटिस देने का अधिकार । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अनियमितताओ पर दूसरे नोटिस के बाद नौकरी से निकलने का अधिकार ।

सत्य-प्रतिलिपि

निदेशक

Scanned with CamScanner

5. अपने विभाग की चल अचल सम्पति का अवलोकन प्रत्येक सत्र में विभाग के कर्मचारियो से माँगने का अधिकार । जिसे प्रबन्ध समिति की बैठक मे प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करना होगा ।
6. प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था जैसे–पुस्तकालय , सफाई , बिजली , जल , शिक्षा स्तर , आदि को सुधारने के लिए अपने विभागीय कर्मचारियो को निर्देशित करने का अधिकार , विवाद की स्थिति में निदेशक से मिलकर उचित स्थिति लागू करनी होगी ।
7. आय व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष देना होगा ।

कोषाध्यक्ष , उपकोषाध्यक्ष के कार्य व अधिकार

1. संस्था के लिए सभी प्रकार के दान , अनुदान , चन्दे , सदस्यता शुल्क एवं सभी प्रकार के शुल्क आदि प्राप्त करना और उनका ब्यौरा रखना ।
2. शिक्षा शुल्क व विद्यार्थियो द्वारा प्राप्त सभी शुल्क का ब्यौरा रखना तथा सम्बन्धित उप निदेशक से ब्यौरा मांगने का अधिकार ।
3. सभी प्रकार की आय व्यय का लेखा जोखा रखना ।
4. संस्था की आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रखना और सुचारु रूप से चलाना।
5. कर्मचारियो के वेतन का भुगतान स्वीकृत करना । संस्था के लिए आवश्यक सामान बजट के अनुसार उपलब्ध करना ।जिसके लिए 1/2 से अधिक सदस्यों का बहुमत आवश्यक है ।
6. निदेशक , उपनिदेशक के द्वारा आवश्यक कार्य , आय व्यय निदेशक ,उप निदेशक से माँगना तथा मीटिंग होने पर उसे प्रस्तुत करना ।
7. वाहन खरीदना व उसके खर्चे के लिए आवश्यक धन का ब्यौरा प्रबन्ध समिति द्वारा समय समय पर पास कराना जिसके लिए 1/2 से अधिक सदस्यों का बहुमत आवश्यक है ।
8. उपकोषाध्यक्ष का कार्य कोषाध्यक्ष का सहयोग करना ।
9. कोषाध्यक्ष की अनुपस्थित मे सारे काम उपकोषाध्यक्ष को करने होगे ।

मुख्य अनुशासक : कार्य व अधिकार

1. संस्था मे अनुशासन बनाये रखना ।
2. छात्र / छात्राओ की समस्याओ को सुनना तथा उनका समय समय पर निदान कराना ।
3. अपनी सुविधा के लिए सम्बन्धित अध्यापक से कार्य लेना जो संस्था के लिए ही होना चाहिए ।
4. छात्रावास की सारी व्यवस्थाओं को व सुविधाओ को उपलब्ध कराना ।
5. छात्र/छात्रा के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण कराना ।
6. खेल सम्बन्धी व्यवस्थाओं को पूरा करना ।

सत्य–प्रतिलिपि

7. छात्र/छात्राओं के लडाई , झगडा को सुलझाना अधिक विवाद होने पर प्रबन्ध समिति में विषय रखकर छात्र/छात्रा को दण्ड दिलाना ।

निदेशक तथा मुख्य अनुशासक जो कि संस्था मे आजीवन सदस्य है । जब तक पद पर रहेंगे तब तक अपना पूरा समय संस्था को देने के कारण वार्षिक भत्ता लेने के हकदार होगे (जो भत्ता प्रबन्ध समिति द्वारा प्रतिवर्ष तय किया जायेगा । जो उप निदेशक , निदेशक ,मुख्य अनुशासक के स्थान पर कार्य करेगे। उनको वही भत्ता जितने दिन वह कार्य करेंगे उसी के अनुपात में निदेशक व मुख्य निदेशक के खाते से काट कर दिया जायेगा ।

(द) सम्मानवीय सदस्यः– निम्न सम्मानवीय सदस्य होगें:–

1.जो संस्था को रुपया 50000 से अधिक की चल या अचल सम्पत्ति प्रदान करेगें वह सम्मानवीय सदस्य होगें।

2.इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है।

सम्मानवीय सदस्यो का कार्यक्षेत्र व अधिकार:–

1.इनको संस्था के हित मे सहयोग, सुझाव देने का पूरा अधिकार है। इनका सुझाव प्रवन्धसमिति की बैठक मे रखा जायेगा बहुमत (2/3 सदस्य) होने पर लागू किया जायेगा।

2.इनको संस्था का आय व्यय ब्योरा लेने का अधिकार है अनियमितता पकड में आने पर प्रबंध समिति द्वारा उचित निर्णय किया जायेगा।

3.जो सदस्य 50000 रूपये या अधिक की सम्पत्ति या रूपये संस्था को देगें उन्हें प्रबंधसमिति मे न तों वोट डालने का अधिकार होगा और न किसी पद पर खडे होने का अधिकार होगा।

4.आजीवन सदस्य की मृत्यु के बाद अथवा अपना नाम वापस लेने के बावद यदि कोई सम्मानवीय सदस्य आजीवन सदस्य बनना चाहता है। तो वह 60000 रु0 पुनः जमा करके आजीवन सदस्य बन सकता है। उसकी सदस्यता प्रबन्धसमिति के 2/3 सदस्यों की सहमति से तय होगी। उसको संस्था मे पद लाभ वरीय क्रम में अपने नम्बर के आधार पर मिलेगी। विशेष परिस्थिति मे प्रबंध समिति उसके अधिकार (पद) को तय करेगी जिसके लिये 1/2 सदस्यों की सहमति आवश्यक है।

(य) साधारण सदस्यः–

1.जो सदस्य 20000 रूपये का धन या सम्पत्ति संस्था को दान देगें वह साधारण सदस्य होगें।

2.वह सदस्य प्रतिवर्ष 31 मार्च तक सदस्यता शुल्क रु0 2000 संस्था के नाम अवश्य जमा कर दे तो वह साधारण सदस्य की श्रेणी मे आयेगें।

सत्य-प्रतिलिपि

दीपक सिंह सेंगर [illegible]
[illegible] फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर

निदेशक
पं० दीनदयाल [illegible]
[illegible]

3.इनकी सदस्यता केवल 5 साल तक ही मान्य होकगी, 5 वर्ष बाद यदि वह 20000 रू0 या इतने की सम्पतित पुनः संस्था को देगें तो पुनः साधारण बन सकेगें।

साधारण सदस्यो के कार्यक्षेत्र व अधिकारः–

1.इन सदस्यों को संस्था के हित मे सहयोग, सुझाव देने का पूरा अधिकार है।

2.जब तक वह सदस्य है तब तक आय व्यय का ब्योरा मांगने का अधिकार है। अनियमितता होने पर या कोई भी सुझाव देने पर प्रबंधसमिति मे अपनी बात रखी जायेगी जो 2/3 बहुमत से पास होने पर लागू होगी।

3.इनको प्रबन्ध समिति मे न तो वोट देने का अधिकार न किसी पद पर खडे हाने का अधिकार होगा।

4.इन साधारण सदस्य की अपने किसी छात्र छात्रा को केवल 1 बार 10 प्रतिशत छूट पर प्रवेश देने का अधिकार है बशर्ते वह योग्यता रखता है।

5.यदि कोई सदस्य आजीवन सदस्य बनना चाहता है तो आजीवन सदस्य की जगह खाली होने पर संस्था के नाम 80 हजार रूपये 5 साल के अन्दर जमा कर दें। पद का लाभ आदि वरिष्ठता सूची के आधार पर मिलेगा। यदि प्रबन्धसमिति उसके नाम पर राजी नही हैं। तो 2/3 बहुमत होगे पर ही उसका सदस्यता प्रदान की जा सकती ।

प्रत्येक आजीवन सम्मानीय व साधारण सदस्य को प्रवेश सम्बन्धी छूट का लाभ 1 वर्ष मे छात्रों की सं0 का 10 प्रतिशत ही होगा। अधिक सं0 की मांग होने पर प्रबन्धसमिति ही तय करेगी कि किसके सदस्य को वह सुविधा उस वित्तीय वर्ष मे किसे दी जाये।

परिभाषायें:–

1.समिति व प्रबन्धसमिति का तात्पर्य वे सभा सदस्य जो आजीवन सदस्य की श्रेणी मे आते है।

2.शिक्षा समिति– साधारण सभा से है।

सभा के सदस्यों की योग्यताः–

(अ) 18 वर्ष की कम आयु के सदस्य को न तो वोट डालने का अधिकार होगा और न ही पदाधिकारी बन सकेगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिबन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ब) जो पागल, दीवालिया, अनैतिक अपराध, चोरी ,डकैती, भवन से सम्बन्धित दण्ड के भागी न हों।

सदस्यता की समाप्तिः–

मृत्यु , पागल, न्यायालय द्वारा चोरी डकैती अनैतिक अपराध मे दण्डित होने व संस्था के नियमों का पालन न करने पर या लगातार 3 वर्ष की बैठक मे बिना

सत्य–प्रतिलिपि

Scanned with CamScanner

किसी लिखित कारण के अनुपस्थित रहने पर एंव अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर त्याग पत्र स्वीकार होने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

संस्था के अंग

(क)साधारण सभा:–

(अ) इसके अर्न्तगत आजीवन सदस्यों मे से नियुक्त सभी पदाधिकारी

(ब)दो अध्यापक प्रतिनिधि (वरिष्ठता सूची के आधार पर कमशः)

(स)एक गैर अध्यापक प्रतिनिधि (.. .. .. ..)

(द)दो प्रबन्धसमिति के सदस्य पदाधिकारी के अतिरिक्त (वरिष्ठता सूची से)

कार्यविधि साधारण सभा की बैठक सत्र के दौरान निदेशक के अनुसार कभी भी कम से कम देकर बुलाई जा सकती है। इसके अर्न्तगत निम्न विषयों पर विचार किया जा सकता है।

1.प्रवेश सम्बन्धी

2.वाचनालय ,पुस्तकालय

3.अध्यापक कार्य

4.स्वास्थ्य सम्बन्धी

5.खेलकूद सम्बन्धी

6.छात्रावास सम्बन्धी

7.परीक्षा सम्बन्धी आदि

साधारण सभा की बैठक प्रत्येक महीने होनी आवश्यक है। जिससे सभी विषयों पर औपचारिक अथवा अनऔपचारिक रूप से समीक्षा होगी। इस बैठक का पदेन अध्यक्ष निदेशक होगा।।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति:–

1.केवल आजीवन सदस्य ही इस समिति के सदस्य होगें।

2.यह बैठक प्रत्येक वर्ष सत्र के अन्त मे निदेशक के अनुसार समय देने पर होगी। जिसकी सूचना एक महीने पहले सदस्यों को दी जायेगी।

3.निदेशक के अतिरिक्त, आजीवन सदस्य जो किसी पद पर नही है, इस बैठक का अध्यक्ष होगा और संस्था के पूरे कार्य की समीक्षा करेगा। तथा सुधार हेतु लिये गये निर्णय को लागू करने की अनुमति देगा। आजीवन सदस्य अध्यक्षता हेतु किसे नामित किया जायेगा ये प्रबन्धकारिणी तय करेगी।

पदाधिकारी

1.निदेशक

2.उपनिदेशक

3.कोषाध्यक्ष

4.उपकोषाध्यक्ष

5.मुख्य अनुशासक

6.सदस्य (दो)

प्रमाणित सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

निदेशक

चुनाव कार्यवाही विधि:-

निर्धारित 5 साल बाद चुने गये पदाधिकारियों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा। जब तक चुनाव नही होता तब तक समस्त अधिकार निदेशक मे निहित होगे।

प्रत्येक 5 साल बाद माह अप्रैल मे एजेण्डा भेजकर प्रबन्धसमिति की मीटिंग करके चुनाव की तिथि निर्धारित की जायेगी। यदि कोई पदाधिकारी अच्छा कार्य करता है और प्रबन्ध समिति के 2/3 सदस्य उसे मानते है तो उसका चुनाव नही होगा जब तक उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव न आये और कोई संगीन अनियमितता न हो।

चुनाव अधिकारी प्रबन्धसमिति के द्वारा नियुक्त होगा जिसकी संरक्षता मे चुनाव किया जायेगा। उसका निर्णय ही मान्य होगा संस्था के विघटन व विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सेसाइटी रजि0 अधि0 की धारा 13 व 14 के अर्न्तगत की जायेगी।

प्रबन्ध समिति प्रशासन द्वारा लिये ग ये जनहित मे निर्णय का स्वागत करेगी तथा उसके लागू करने की पूरी कोशिश करेगी। संस्था के कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस मे उपनिदेशक एंव कोषाध्यक्ष संयुक्तयप से समिति/संस्था के नाम अपने हस्ताक्षरों से खाता खुलवाकर संचालित करेगे।

प्रवेश व डिग्री वितरण तथा शासन द्वारा लिये गये निर्ण्य मे प्रबन्धसमिति उचित निर्णय लेगी।

पदाधिकारियों कस चुनाव प्रबन्धसमिति द्वारा प्रत्येक 5 साल मे होगा। जिसका स्थानसंस्थान या मुख्यालय पर होगा।

जो सदस्य अथवा व्यक्ति 25000 से अधिक धन संस्था को देगे उनके नाम या उनके बतासये नाम से संस्था मे उतनी ही लागत के भवन , हाल , रोड का नाम रखा जा सकता हैं इसे प्रबन्धकारिणी तय करेगी। संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व निदेशक या उसके द्वारा अध्धिकृत अन्य किसी व्यक्ति का होगा। संस्था द्वारा अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत संस्था के विकास अथवा अन्य नई योजनाओं मे खर्च होगा, यह प्रबन्धकारिणी अपनी वार्षिक बैठक मे प्रतिवर्ष तय करेगी। संस्था का आडिट प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

संस्था मे हानि की दशा मे पूरा दायित्व सभी संरक्षक , आजीवन, सम्मानवीय व नामित सदस्यों का होगा। जिसको प्रबन्धकारिणी की बैठक मे तय किया जायेगा। विद्यालय के हित मे उददेश्यों की पूर्ति हेतु बैंक या अन्य किसी से श्रण लेना व वापिस देना निदेशक के हाथ मे होगा। लेकिन इसकी समीक्षा प्रबन्ध कार्य कारिणी की बैठक मे की जायेगी। संस्था का खाता राष्ट्रीयकत बैंक मे खोला जायेगा खाते का संचालन कोषाध्यक्ष व उपनिदेशक के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

सचिव

संस्थापक ... समिति

मु0 ...-उन्नाव

प्रतिबन्ध

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय के प्रबन्धसमिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का संबद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट ऐक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होता है तो उक्त परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(ङ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिए जायेगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत लाभ उपलब्ध कराए जाऐंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेगें, संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) उक्त प्रतिबन्धों मे पूर्व शासन की वित्त अनुमति के परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नही किया जायेगा।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं मे रखा जाएगा यदि हों तो कृपया प्रबन्धकारिणी को इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय की विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध कम 1 से 9 तक स्वीकार है।

सत्य-प्रतिलिपि

प्रमोद कुमार

V.K.

R.K. S.

I.S.K.

कार्यालय उप निबन्धक ... कानपुर

16/2/...